संख्या 3450/जी0एस0(शिक्षा)/A11-138(2)/2023

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड   देहरादून दिनांक 17 जून, 2025

महोदय,

कृपया कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा इस सचिवालय को प्रेषित पत्र संख्या 8059, दिनांक 12.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **तुलाज इन्स्टीट्यूट, धूलकोट, सेलाकुई, चकराता रोड़, देहरादून को बी0कॉम0–ऑनर्स एवं बी0जे0एम0सी0 (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन) एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2020–21 से 2022–23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव** इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृति सीटों की संख्या	अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की अवधि।
1	2	3	4	5
01	तुलाज इन्स्टीट्यूट, धूलकोट, सेलाकुई, चकराता रोड़, देहरादून	बी0कॉम0–ऑनर्स	60 सीट प्रति सत्र	2020–21, 2021–22 एवं 2022–23
		बी0जे0एम0सी0 (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन)	60 सीट प्रति सत्र	
		विषय	सत्र 2020–21 एवं 2021–22 हेतु	सत्र 2022–23 हेतु
		बी0बी0ए0	120 सीट प्रति सत्र	165 सीट

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

- विश्वविद्यालय संस्थान से बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए प्राभूति राशि, यू0जी0सी0 विनियम एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेगा, यदि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए इस उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया जाता है तो किसी भी परिस्थिति में सत्र 2025–26 के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Swati Srivastava Bhadauria
Date: 16-06-2025 11:24:23

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव

संख्या : 3450/जी0एस0(शिक्षा)/**A11-138(2)/**2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 17-06-2025
15:31:57

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।